

परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य स्तर पर गठित “फैमिली प्लानिंग इन्डेमिनिटी उपसमिति” की सम्पन्न 15वीं बैठक दिनांक
29 जनवरी 2019 का कार्यवृत्त।

परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य स्तर पर गठित “फैमिली प्लानिंग इन्डेमिनिटी उपसमिति” की 15वीं बैठक श्री पंकज कुमार, मिशन निदेशक, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0, लखनऊ की अध्यक्षता में दिनांक 29 जनवरी 2019 को सिफ्सा सभागार कक्ष में प्रातः 11:00 बजे सम्पन्न हुई, जिसमें उपसमिति निम्नवत् रही:-

- (1) डा० वद्री विशाल,
निदेशक(प०क०)
परिवार कल्याण महानिदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ। — विशेष आमंत्रित
- (3) डा० वीरेन्द्र रिंह,
संयुक्त निदेशक(प०क०),
परिवार कल्याण महानिदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ। — सदस्य सचिव
- (4) डा० चित्रा सोनकर,
कन्सलटेंट(स्त्री रोग विशेषज्ञा)
वीरांगना अवन्तीवाई महिला चिकित्सालय,
गोलागंज, लखनऊ। — सदस्य
- (5) डा० यू०क० प्रसाद,
सीनियर कन्सलटेंट, सर्जन,
डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल,
हजरतगंज, लखनऊ। — सदस्य
- (5) डा० अरुणा नरायन,
वरिष्ठ सलाहकार,
सिफ्सा, उ०प्र०, लखनऊ। — विशेष आमंत्रित

- (6) डा० पंकज सक्सेना,
महाप्रवन्धक(परिवार नियोजन),
राष्ट्रीय रवारथ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- विशेष आमंत्रित

सर्वप्रथम श्री पंकज कुमार, मिशन निदेशक, राष्ट्रीय रवारथ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा वैठक में उपरिथित समस्त सदस्यों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात डा० वीरेन्द्र सिंह, संयुक्त निदेशक(प०क०) द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से वैठक प्रारम्भ करते हुये एजेण्डा बिन्दुओं पर निर्णय लिये गये:—

**एजेण्डा मद संख्या:-01
(गत वैठक दिनांक 12 मार्च 2018 की कार्यवाही की पुष्टि एवं अनुपालन आख्या)**

सर्वप्रथम समिति के समक्ष गत वैठक दिनांक 12 मार्च 2018 का कार्यवृत्त प्रस्तुत किया गया। मिशन निदेशक महोदय द्वारा पिछली वैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

एजेण्डा मद संख्या:-02

(प्रगति का विवरण)

डा० वीरेन्द्र सिंह, संयुक्त निदेशक(प०क०) द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 01 अप्रैल 2013 से लागू परिवार नियोजन इण्डेमिनी योजना के अन्तर्गत गठित "परिवार नियोजन इण्डेमिनी उपसमिति" की अव तक कुल 15 वैठकों सम्पन्न हो चुकी है तथा एजेण्डा में टंकण त्रुटि होने के कारण कुल दावा प्रपत्र 397 के स्थान पर 396 अंकित हो गया था। योजना के प्रारम्भ से अव तक राज्य स्तर पर कुल प्राप्त वलेम फार्मे व उनके सापेक्ष निरस्तारित दावा प्रपत्रों का विवरण निम्नवत् है:—

(1) कुल प्राप्त दावा प्रपत्रों की संख्या:-	3190
(2) विगत वैठकों में समिति के समक्ष प्रस्तुत दावा प्रपत्रों की संख्या:-	2793
(3) प्रस्तुत दावों के सापेक्ष स्वीकृत दावों की संख्या:-	2030
(4) प्रस्तुत दावों के सापेक्ष अस्वीकृत दावों की संख्या:-	763

- (5) परीक्षणोपरान्त आज की बैठक दिनांक
12 मार्च 2018 में निस्तारणार्थ प्रस्तुत
दावों की संख्या:-

397

एजेण्डा मद संख्या:-03

(आज की बैठक में निस्तारण हेतु प्रस्तुत दावों का जनपदवार विवरण)

महानिदेशालय में विभिन्न जनपदों से प्राप्त नसवन्ती उपरान्त गर्भधारण के 389, जटिलता के 03 एवं मृत्यु के 05 कुल 397 दावा प्रपत्रों का समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृत/अस्वीकृत किया गया है, जिसका जनपदवार विवरण निम्नवत है:-

1. उन्नाव:-

जनपद उन्नाव से वर्ष 2017-18 के गर्भधारण के 07 एवं वर्ष 2018-19 के 01 कुल 08 दावा प्रपत्र प्राप्त हुये थे, जिनको समिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त 08 दावा प्रपत्र के सापेक्ष 08 दावा प्रपत्र स्वीकृत किये गये।

2. अमेठी:-

जनपद अमेठी से वर्ष 2014-15 के गर्भधारण के 01, वर्ष 2016-17 के 01, वर्ष 2017-18 के 09 एवं वर्ष 2018-19 के 02 कुल 13 दावा प्रपत्र प्राप्त हुये थे, जिनको समिति के सामक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त 13 दावा प्रपत्र के सापेक्ष 13 दावा प्रपत्र स्वीकृत किये गये।

3. लखीमपुर खीरी:-

जनपद लखीमपुर खीरी से वर्ष 2014-15 के गर्भधारण के 05, वर्ष 2015-16 के गर्भधारण के 12, वर्ष 2016-17 के 20, मृत्यु के 01, वर्ष 2017-18 के 20 एवं वर्ष 2018-19 के 04 कुल 62 दावा प्रपत्र प्राप्त हुये थे, जिनको समिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त 62 दावा प्रपत्र के सापेक्ष 62 दावा प्रपत्र स्वीकृत किये गये।

4. हरदोई:-

जनपद हरदोई से वर्ष 2017-18 के 12, मृत्यु के 01 एवं वर्ष 2018-19 के 04 कुल 17 दावा प्रपत्र प्राप्त हुये थे, जिनको समिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त 17 दावा प्रपत्र के सापेक्ष 17 दावा प्रपत्र स्वीकृत किये गये।

5. इटावा:-

जनपद इटावा से वर्ष 2015-16 के गर्भधारण के 01, वर्ष 2016-17 के गर्भधारण के 01 एवं वर्ष 2017-18 के 08 कुल 10 दावा प्रपत्र प्राप्त हुये थे, जिनको समिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त 10 दावा प्रपत्र के सापेक्ष 10 दावा प्रपत्र स्वीकृत किये गये।

6. बाराबंकी:-

जनपद इटावा से वर्ष 2016-17 के गर्भधारण के 01, वर्ष 2017-18 के गर्भधारण के 23 एवं वर्ष 2018-19 के 07 कुल 31 दावा प्रपत्र प्राप्त हुये थे, जिनको समिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त 31 दावा प्रपत्र के सापेक्ष 31 दावा प्रपत्र स्वीकृत किये गये।

7. मैनपुरी:-

जनपद मैनपुरी से वर्ष 2017-18 के गर्भधारण के 03 एवं वर्ष 2018-19 के 03 कुल 06 दावा प्रपत्र प्राप्त हुये थे, जिनको समिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त 06 दावा प्रपत्र के सापेक्ष 06 दावा प्रपत्र स्वीकृत किये गये।

8. मिर्जापुर:-

जनपद मिर्जापुर से वर्ष 2017-18 के गर्भधारण के कुल 03 दावा प्रपत्र प्राप्त हुये थे, जिनको समिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त 03 दावा प्रपत्र के सापेक्ष 03 दावा प्रपत्र स्वीकृत किये गये।

9. अमरोहा:-

जनपद मिर्जापुर से वर्ष 2017-18 के गर्भधारण के 04 एवं वर्ष 2018-19 के गर्भधारण के 06 कुल 10 दावा प्रपत्र प्राप्त हुये थे, जिनको समिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त 10 दावा प्रपत्र के सापेक्ष 10 दावा प्रपत्र स्वीकृत किये गये।

10. मेरठ:-

जनपद मेरठ से वर्ष 2014-15 के मृत्यु के 02, वर्ष 2015-16 के गर्भधारण के 03, वर्ष 2016-17 के गर्भधारण के 01, वर्ष 2017-18 के गर्भधारण के 01 एवं वर्ष 2018-19 के गर्भधारण के 02 व मृत्यु के 01 कुल 10 दावा प्रपत्र प्राप्त हुये थे, जिनको समिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त 10 दावा प्रपत्र के सापेक्ष 10 दावा प्रपत्र स्वीकृत किये गये।

11. देवरिया:-

जनपद देवरिया से वर्ष 2017-18 के गर्भधारण के 02 एवं वर्ष 2018-19 के गर्भधारण के 08 कुल 10 दावा प्रपत्र प्राप्त हुये थे, जिनको समिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त 10 दावा प्रपत्र के सापेक्ष 10 दावा प्रपत्र स्वीकृत किये गये।

12. गौतमबुद्ध नगर:-

जनपद गौतमबुद्ध नगर से वर्ष 2016-17 के जटिलता के 01 एवं वर्ष 2017-18 के गर्भधारण के 02 कुल 03 दावा प्रपत्र प्राप्त हुये थे, जिनको समिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त 03 दावा प्रपत्र के सापेक्ष 03 दावा प्रपत्र स्वीकृत किये गये।

13. एटा:-

जनपद एटा से वर्ष 2016-17 के गर्भधारण के कुल 01 दावा प्रपत्र प्राप्त हुये थे, जिनको समिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त 01 दावा प्रपत्र के सापेक्ष 01 दावा प्रपत्र स्वीकृत किये गये।

25

19 शाहजहाँपरः-

शाहजहांपुर- जनपद शाहजहांपुर से वर्ष 2017-18 के गर्मधारण के 11 एवं वर्ष 2018-19 के गर्मधारण के 15 कूल 26 दावा प्रपत्र प्राप्त हुए थे, जिनमें से 26 अवलोकनार्थी/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त 26 दावा प्रपत्र के सापेक्ष 26 दावा प्रपत्र स्वीकृत किये गये।

20. ਲਖਨਊ:-

जनपद लखनऊ से वर्ष 2017-18 के गमधारण के 04 एवं वर्ष 2018-19 के गमधारण के 01 कुल 05 दावा प्रपत्र प्राप्त हुए। अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त 05 दावा प्रपत्र के सापेक्ष 05 दावा प्रपत्र स्वीकृत किये गये।

21. मथुरा:-

अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा परीक्षणप्रान्त 09 दावा प्रपत्र के सापेक्ष 09 दावा प्रपत्र स्वीकृत किये गये।

22. रामपुर-

जनपद रामपुर से वर्ष 2017-18 के गमधारण के 03 एवं वर्ष 2018-19 के गमधारण के 02 युल 03 दावा प्रपत्र प्राप्त हुए। अबलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा परीक्षणोपात्त 05 दावा प्रपत्र के सापेक्ष 05 दावा प्रपत्र स्वीकृत किये गये।

23. महाराजगंज-

जनपद महाराजगंज से वर्ष 2017-18 के गर्भधारण के कुल 04 दावा प्रपत्र प्राप्त हुये थे, जिनका सामात के सम्बन्ध अवलोकनाय/परालोग हुए प्रत्युत 14-20 द्वारा परीक्षणोपरान्त 04 दावा प्रपत्र के सापेक्ष 04 दावा प्रपत्र खीकृत किये गये।

24. बरेली-

जननपद वरेली से वर्ष 2018-19 के गर्भायारण के कुल 06 दावा प्रपत्र प्राप्त हुये थे, जिनको सामात के समक्ष अवलोकनाय/परादाग ८५ प्र० प्र० पर्याप्त रूप से परीक्षणोपरान्त 06 दावा प्रपत्र के सापेक्ष 06 दावा प्रपत्र स्वीकृत किये गये।

25. बांदा-

जननद वांदा से वर्ष 2017-18 के गमधारण के 01 एवं वर्ष 2018-19 के गमधारण के 02 कुल 03 दावा प्रपत्र प्राप्त हुय थे, जिनका सामान के सनद अपलोडगाय चरदान हेतु प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा परीक्षणपरात्त 03 दावा प्रपत्र के सापेक्ष 03 दावा प्रपत्र स्वीकृत किये गये।

26. बागपत—

जनपद वागपत से वर्ष 2017-18 के गणधारण के 03 एवं वर्ष 2018-19 के गणधारण के 01 कुल 04 दावा प्रपत्र अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त 04 दावा प्रपत्र के सापेक्ष 04 दावा प्रपत्र स्वीकृत किये गये।



27. सन्तकवीर नगर-

जनपद सन्तकवीर नगर से वर्ष 2017-18 के गर्भधारण के 04 एवं वर्ष 2018-19 के गर्भधारण के 06 कुल 10 दावा प्रपत्र प्राप्त हुये थे, जिनको समिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त 10 दावा प्रपत्र के सापेक्ष 10 दावा प्रपत्र स्वीकृत किये गये।

28. वाराणसी-

जनपद वाराणसी से वर्ष 2015-16 के गर्भधारण के 09 एवं वर्ष 2016-17 के गर्भधारण के 01 कुल 10 दावा प्रपत्र प्राप्त हुये थे, जिनको समिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त 10 दावा प्रपत्र के सापेक्ष 10 दावा प्रपत्र स्वीकृत किये गये।

29. मऊ-

जनपद मऊ से वर्ष 2016-17 के गर्भधारण के 18 एवं वर्ष 2017-18 के गर्भधारण के 13 कुल 31 दावा प्रपत्र प्राप्त हुये थे, जिनको समिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त 31 दावा प्रपत्र के सापेक्ष 31 दावा प्रपत्र स्वीकृत किये गये।

30. आगरा:-

जनपद आगरा से वर्ष 2016-17 के जटिलता के 01, वर्ष 2017-18 में गर्भधारण के 10, एवं वर्ष 2018-19 के गर्भधारण के 06 कुल 17 दावा प्रपत्र प्राप्त हुये थे, जिनको समिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त 17 दावा प्रपत्र के सापेक्ष 16 स्वीकृत किये गये। शेष 01 दावा प्रपत्र में त्रुटियाँ पाई गई हैं, जो कि निम्नवत हैः-

वर्ष 2016-17

- श्रीमती सुधा देवी पत्नी श्री वसंत कुमार निवासी चमरौली ल्लॉक वरीली अहीर जनपद आगरा के दावा प्रपत्र में गर्भधारण उपरान्त गर्भधारण पुष्टि की तिथि (दिनांक 22.10.2017) एवं (वलेम दिनांक 18.07.2018) अंकित है, जिससे स्पष्ट होता है कि लागार्थी द्वारा गर्भधारण की जानकारी होने की तिथि से 90 दिन बाद वलेम किया गया है।
- श्रीमती पिंकी पत्नी श्री दिनेश निवासी 46/98/2 भीमनगर जगदीशपुरा जनपद आगरा के दावा प्रपत्र में नसवन्दी उपरान्त जटिलता हुई है, से सम्बन्धित कोई साक्ष्य(ओ०पी०डी० पर्चा/अल्ट्रासाउण्ड रिपोर्ट) संलग्न नहीं है।

31. वरस्ती-

जनपद मऊ से वर्ष 2016-17 के गर्भधारण के 01 एवं वर्ष 2017-18 के गर्भधारण के 02 कुल 03 दावा प्रपत्र प्राप्त हुये थे, जिनको समिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त 03 दावा प्रपत्र के सापेक्ष 03 दावा प्रपत्र स्वीकृत किये गये।

एजेण्डा मद संख्या:-06

(समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त स्वीकृत किये गये दावा प्रपत्रों का विवरण)

बैठक में समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त गर्भधारण के 389, जटिलता के 03 एवं मृत्यु के 05 कुल 397 दावा प्रपत्रों के सापेक्ष सर्वसम्मति से गर्भधारण के 385, जटिलता के 02 एवं मृत्यु के 05 कुल 392 दावा प्रपत्र स्वीकृत किये गये, जिसका विवरण निम्नवत हैः-

27. सनाकरीर नगर-

जनपद सनाकरीर नगर से वर्ष 2017-18 के गर्भारण के 04 एवं वर्ष 2018-19 के गर्भारण के 06 कुल 10 दावा प्रपत्र प्राप्त हुये थे, जिनको समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त 10 दावा प्रपत्र के सापेक्ष 10 दावा प्रपत्र स्वीकृत किये गये।

28. आरामसी-

जनपद आरामसी से वर्ष 2015-16 के गर्भारण के 09 एवं वर्ष 2016-17 के गर्भारण के 01 कुल 10 दावा प्रपत्र प्राप्त हुये थे, जिनको समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त 10 दावा प्रपत्र के सापेक्ष 10 दावा प्रपत्र स्वीकृत किये गये।

29. मह-

जनपद मह से वर्ष 2016-17 के गर्भारण के 18 एवं वर्ष 2017-18 के गर्भारण के 13 कुल 31 दावा प्रपत्र प्राप्त हुये थे, जिनको समिति के समझ अदालतें हुई प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त 31 दावा प्रपत्र के सापेक्ष 31 दावा प्रपत्र स्वीकृत किये गये।

30. आगरा-

जनपद आगरा से वर्ष 2016-17 की जटिलता के 01, वर्ष 2017-18 में गर्भारण के 10, एवं वर्ष 2018-19 के गर्भारण के 06 कुल 17 दावा प्रपत्र प्राप्त हुई हैं जो कि निम्नलिखित हैं—

वर्ष 2016-17

- श्रीमती लुपा टेली श्री बसान कुमार निवारी चमरीती बनीक बरौली अहीर जनपद आगरा के दावा प्रपत्र में गर्भारण उपरान्त गर्भारण पुष्टि की जिसकी वर्ष (भ्रेय दिनांक 18.07.2018) अकिञ्चित है, जिससे स्पष्ट होता है कि सामाजी द्वारा गर्भारण की जानकारी होने की तिथि से 90 दिन बाद बलेन जिसका नाम (श्रीमती लुपा टेली श्री बसान कुमार निवारी 46/98/2 श्रीमकार जगदीशपुरा जनपद आगरा के दावा प्रपत्र में नसदनी उपरान्त जटिलता हुई है, से साध्य (श्रीमती लुपा टेली श्री बसान कुमार निवारी अल्ट्रासोउण्ड स्क्रिप्ट) सत्यान् नहीं है।

31. बसी-

जनपद बसी से वर्ष 2016-17 के गर्भारण के 01 एवं वर्ष 2017-18 के गर्भारण के 02 कुल 03 दावा प्रपत्र प्राप्त हुये थे, जिनको समिति के समझ अदालतें हुई प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त 03 दावा प्रपत्र के सापेक्ष 03 दावा प्रपत्र स्वीकृत किये गये।

एलेण्डा भद्र संख्या-06

(समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त स्वीकृत किये गये दावा प्रपत्रों का विवरण)

वैठक में समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त गर्भारण के 389, जटिलता के 03 एवं मृत्यु के 05 कुल 397 दावा प्रपत्रों के सापेक्ष सर्वसम्मति से गर्भारण के 385, जटिलता के 05 कुल 392 दावा प्रपत्र स्वीकृत किये गये, जिसका विवरण निम्नान्त है—

क्रं सं०	जनपद का नाम	वर्ष 2013-14		वर्ष 2014-15		वर्ष 2015-16		वर्ष 2016-17			वर्ष 2017-18			वर्ष 2018-19			प्राया दावा प्रपत्रों की संख्या			कुल दावा प्रपत्रों की संख्या
		गर्भधारण		गर्भधारण	मृत्यु	गर्भधारण		जटिलता	मृत्यु	गर्भधारण		जटिलता	मृत्यु	गर्भधारण		मृत्यु	गर्भधारण		जटिलता	मृत्यु
		गर्भधारण	मृत्यु	गर्भधारण	मृत्यु	गर्भधारण	जटिलता	मृत्यु	गर्भधारण	जटिलता	मृत्यु	गर्भधारण	मृत्यु	गर्भधारण	जटिलता	मृत्यु	गर्भधारण	जटिलता	मृत्यु	
1	उन्नाव	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	8	0	0	0	0	0	0	0	8
2	अमेड़ी	0	1	0	0	1	0	0	9	0	0	2	0	13	0	0	0	0	0	13
3	लड़ीगढ़ुर खीरी	0	5	0	12	20	0	1	20	0	0	4	0	61	0	1	1	1	1	62
4	हररोड़े	0	0	0	0	0	0	0	12	0	1	4	0	16	0	0	0	0	0	10
5	इटापा	0	0	0	1	1	0	0	8	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	31
6	दारावड़ी	0	0	0	0	1	0	0	23	0	0	7	0	31	0	0	0	0	0	6
7	कैनपुरी	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	3
8	मिजांपुर	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	10
9	अमरोहा	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	6	0	10	0	0	0	0	0	10
10	गेठ	0	0	2	3	1	0	0	1	0	0	2	1	7	0	3	0	0	0	10
11	देवरिया	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	8	0	10	0	0	0	0	0	3
12	गोतमबुद्ध नगर	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	1
13	एटा	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3
14	गांजीपुर	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	2
15	हांगीपुर	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	9	0	27	0	0	0	0	0	27
16	फैसलीपुर	0	0	0	0	7	0	0	11	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	19
17	दहराइग	0	1	0	1	9	0	0	8	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	26
18	रीतापुर	1	0	0	2	18	0	0	5	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	26
19	शाहजाहांपुर	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	15	0	26	0	0	0	0	0	5
20	लखनऊ	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	1	0	5	0	0	0	0	0	9
21	मधुरा	0	0	0	0	0	0	0	7	1	0	1	0	8	1	0	0	0	0	5
22	रामगढ़	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	2	0	5	0	0	0	0	0	4
23	महाराजगंज	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	6
24	झरेटी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0	0	0	0	0	3
25	चादा	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	4	0	0	0	0	0	4
25	बागपत	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	1	0	10	0	0	0	0	0	10
27	सन्तकीर्ण नगर	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	6	0	10	0	0	0	0	0	10
28	चारापांडी	0	0	0	9	1	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	31
29	मऊ	0	0	0	0	18	0	0	13	0	0	0	0	31	0	0	0	0	0	31
30	आगरा	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	6	0	15	0	0	0	0	0	15

31	वर्ती	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	3	0	0	3
	योग	1	7	2	28	78	1	1	183	1	1	88	1	385	2	5	392

निर्णयः-

397 दावा प्रपत्रों के सापेक्ष समिति द्वारा वर्ष 2013–14 के गर्भधारण के 01 दावा प्रपत्र की धनराशि रु० 30,000/- (रु० तीस हजार मात्र), वर्ष 2014–15 के गर्भधारण के 07 दावा प्रपत्र की धनराशि रु० 2,10,000/- (रु० दो लाख दस हजार मात्र), मृत्यु के 02 दावा प्रपत्र की धनराशि रु० 4,00,000/- (रु० चार लाख मात्र), वर्ष 2015–16 के गर्भधारण के 28 दावा प्रपत्रों की धनराशि रु० 8,40,000/- (रु० आठ लाख चालीस हजार मात्र), वर्ष 2016–17 के गर्भधारण के 78 दावा प्रपत्रों की धनराशि रु० 23,40,000/- (रु० तीस लाख चालीस हजार मात्र), जटिलता के 01 दावा प्रपत्र की धनराशि रु० 25,000/- (रु० पच्चीस हजार मात्र), मृत्यु के 01 गर्भधारण के दावा प्रपत्र की धनराशि रु० 2,00,000/- (रु० दो लाख मात्र), वर्ष 2017–18 के गर्भधारण के 183 दावा प्रपत्रों की धनराशि रु० 54,90,000/- (रु० छौवन लाख नवे हजार मात्र), जटिला के 01 गर्भधारण के दावा प्रपत्र की धनराशि रु० 25,000/- (रु० पच्चीस हजार मात्र), मृत्यु के 01 दावा प्रपत्र की धनराशि रु० 2,00,000/- (रु० दो लाख मात्र) एवं वर्ष 2018–19 के गर्भधारण के 88 दावा प्रपत्रों की धनराशि रु० 26,40,000/- (रु० छवीस लाख चालीस हजार मात्र), मृत्यु के 01 दावा प्रपत्र की धनराशि रु० 2,00,000/- (रु० दो लाख मात्र)। इस तरह गर्भधारण के 385 दावा प्रपत्रों की धनराशि रु० 1,15,50,000/- (रु० एक करोड़ पन्द्रह लाख पचास हजार मात्र), जटिलता के 02 दावा प्रपत्रों की धनराशि रु० 50,000/- (रु० पचास हजार मात्र) एवं मृत्यु के 05 दावा प्रपत्रों की धनराशि रु० 10,00,000/- (रु० दस लाख मात्र) कुल 392 दावा प्रपत्रों की धनराशि रु० 1,26,00,000 (रु० एक करोड़ छवीस लाख मात्र) निम्नवत तालिका के अनुसार जनपदों को आवंटित किये जाने की संस्तिति की गई है:

Summary Sheet for Payment of Claims under Family Planning Indemnity Scheme (Meeting Dated 29-01-2018)

क्रमांक	प्रांत संघ का नाम	वर्ष 2013-14		वर्ष 2014-15		वर्ष 2015-16		वर्ष 2016-17		वर्ष 2017-18		वर्ष 2018-19		प्राची दावा प्रपत्रों की संख्या			कलेम धनराशि			वर्ष 2013-14		वर्ष 2014-15		वर्ष 2015-16		वर्ष 2016-17		वर्ष 2017-18		वर्ष 2018-19		प्राची दावा प्रपत्रों की संख्या					
		गर्भधारा रण	मृत्यु	गर्भधारा रण	मृत्यु	गर्भधारा लता	मृत्यु	गर्भधारा रण	मृत्यु	गर्भधारा लता	मृत्यु	गर्भधारा रण	मृत्यु	गर्भधारा लता	मृत्यु	गर्भधारा रण	मृत्यु	गर्भधारा रण	मृत्यु	गर्भधारा रण	मृत्यु	गर्भधारा रण	मृत्यु	गर्भधारा रण	मृत्यु	गर्भधारा रण	मृत्यु	गर्भधारा रण	मृत्यु								
1	उत्तराखण्ड	0	0	0	0	0	0	7	0	0	1	0	0	0	0	30000	25000	2000 00	0	0	0	0	0	0	21000 00	0	0	0	30000	0	240000 00	0	0	0			
2	अंग्रेजी	0	1	0	0	1	0	0	9	0	0	2	0	0	13	0	0	30000	25000 00	0	0	30000	0	0	0	27000 00	0	0	0	60000	0	390000 00	0	0	0		
3	लद्दाखीय पूर्व	0	5	0	12	20	0	1	20	0	0	4	0	0	61	0	1	30000	25000 00	0	15000 00	0	36000 00	60000	0	0	20000 00	0	12000 00	0	0	183000 00	0	20000 00	0		
4	हरियाणा	0	0	0	0	0	0	0	12	0	1	4	0	0	16	0	1	30000	25000 00	0	0	0	0	0	0	0	0	36000 00	0	21E+05 00	0	12000 00	480000 00	20000 00			
5	झज्जरा	0	0	0	1	1	0	0	8	0	0	0	0	0	10	0	0	30000	25000 00	0	0	0	0	30000	0	0	0	24000 00	0	0	0	0	0	300000 00	0	0	0
6	बाहुदासक	0	0	0	0	1	0	0	23	0	0	7	0	0	31	0	0	30000	25000 00	0	0	0	0	30000	0	0	0	67000 00	0	21000 00	0	0	930000 00	0	0	0	
7	मैनपुरी	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3	0	0	6	0	0	30000	25000 00	0	0	0	0	0	0	0	0	900000 00	0	900000 00	0	0	180000 00	0	0	0	
8	मिज़ोंपुर	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0	30000	25000 00	0	0	0	0	0	0	0	0	12000 00	0	180000 00	0	0	900000 00	0	0	0	

0	0	1	0	0	2	1	7	0	3	30000	25000	2000 00	0	0	4000 00	90000	30000	0	0	30000	0	0	60000	2000 00	210000	0	60000 0		
0	0	2	0	0	8	0	10	0	0	30000	25000	2000 00	0	0	0	0	0	0	0	60000	0	0	24000 0	0	300000	0	0		
1	0	2	0	0	0	0	2	1	0	30000	25000	2000 00	0	0	0	0	0	25000	0	60000	0	0	0	0	0	60000	25000	0	
0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	30000	25000	2000 00	0	0	0	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	30000	0	0
0	0	2	0	0	1	0	3	0	0	30000	25000	2000 00	0	0	0	0	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	30000	0	0
0	0	1	0	0	1	0	2	0	0	30000	25000	2000 00	0	0	0	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	30000	0	0
0	0	11	0	0	9	0	27	0	0	30000	25000	2000 00	0	0	0	0	21000 0	0	0	33000 0	0	0	0	27000 0	0	810000	0	0	
0	0	8	0	0	0	0	19	0	0	30000	25000	2000 00	0	30000	0	30000	27000 0	0	0	24000 0	0	0	0	0	0	0	570000	0	0
0	0	5	0	0	0	0	26	0	0	30000	25000	2000 00	30000	0	0	60000	54000 0	0	0	15000 0	0	0	0	0	0	0	780000	0	0
0	0	11	0	0	15	0	26	0	0	30000	25000	2000 00	0	0	0	0	0	0	0	33000 0	0	0	0	45000 0	0	0	780000	0	0
0	0	4	0	0	1	0	5	0	0	30000	25000	2000 00	0	0	0	0	0	0	0	12000 0	0	0	0	30000	0	0	150000	0	0
0	0	7	1	0	1	0	8	1	0	30000	25000	2000 00	0	0	0	0	0	0	0	21000 0	25000	0	0	30000	0	0	240000	25000	0
0	0	3	0	0	2	0	5	0	0	30000	25000	2000 00	0	0	0	0	0	0	0	90000	0	0	0	60000	0	0	150000	0	0
0	0	4	0	0	0	0	4	0	0	30000	25000	2000 00	0	0	0	0	0	0	0	12000 0	0	0	0	0	0	0	120000	0	0
0	0	0	0	0	6	0	6	0	0	30000	25000	2000 00	0	0	0	0	0	0	0	0	18000 0	0	0	0	180000	0	0		
0	0	1	0	0	2	0	3	0	0	30000	25000	2000 00	0	0	0	0	0	0	0	30000	0	0	0	60000	0	0	90000	0	0
0	0	3	0	0	1	0	4	0	0	30000	25000	2000 00	0	0	0	0	0	0	0	90000	0	0	0	30000	0	0	120000	0	0
0	0	4	0	0	6	0	10	0	0	30000	25000	2000 00	0	0	0	0	0	0	0	12000 0	0	0	0	18000 0	0	0	300000	0	0
0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	30000	25000	2000 00	0	0	0	27000 0	30000	0	0	0	0	0	0	0	300000	0	0		
0	0	13	0	0	0	0	31	0	0	30000	25000	2000 00	0	0	0	0	54000 0	0	0	390000 0	0	0	0	0	0	0	930000	0	0
0	0	9	0	0	6	0	15	0	0	30000	25000	2000 00	0	0	0	0	0	0	0	27000 0	0	0	0	18000 0	0	0	450000	0	0
0	0	2	0	0	0	0	3	0	0	30000	25000	2000 00	0	0	0	0	30000	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	90000	0	0
1	1	183	1	1	88	1	385	2	5	30000	25000	2000 00	30000	21000 0	4000 00	84000 0	23400 00	25000	2000 00	54900 00	25000	2E+05	26400 00	2000 00	115500 00	50000	10000 00		

कुल धनराशि

1260000

में उपस्थित सदस्यों को धन्यवाद देते हुए निर्देश दिये गये कि:-

अंक 01 अप्रैल 2013 से पूर्व नसवन्दी उपरान्त गर्भधारण/जटिलता/मृत्यु से सम्बन्धित लम्बित प्रकरणों की client detail मंगायी जाये।

(कार्यवाही—महानिदेशक, प०क०)

■ समरत जनपदों को परिवार नियोजन इन्डेमिनिटी योजना से सम्बन्धित गाईड लाइन प्रेषित किया जाये।

(कार्यवाही—महानिदेशक, प०क०)

■ ऐसे जनपद जिन्होंने लाभार्थी द्वारा गर्भधारण की पुष्टि की तिथि के 90 दिन बाद क्लेम किया गया है, के दावा प्रपत्र को जनपद स्तर पर गठित समिति से निरतारण न करते हुये निदेशालय को दावा प्रपत्र उपलब्ध कराया गया है, से आख्या प्राप्त किया जाये।


(कार्यवाही—महानिदेशक, प०क०)

■ दिनांक 01 अप्रैल 2013 से पूर्व नसवन्दी उपरान्त गर्भधारण/जटिलता/मृत्यु से सम्बन्धित दावा प्रपत्रों में आई०री०आई०री०आई० लोम्बार्ड के माध्यम से दी जा रही क्षतिपूर्ति धनराशि का (शासनादेश/अनुबन्ध की छायाप्रति) भारत सरकार/आई०री०आई०री०आई० लोम्बार्ड से प्राप्त कर, उसका अवलोकन कर तथ्यों से समिति को अवगत कराया जाये।

(कार्यवाही—महाप्रबन्धक, प०क०, इन०एच०एम०)


(डा० बूपिंदर सिंह)
इम्पैनल्ड स्ट्री रोग विशेषज्ञ,
अव० महिं० विकित्सालय, लखनऊ
सदस्य


(डा० यू०क० प्रसाद)
इम्पैनल्ड सर्जन,
श्यांप्रसांमुख०, सिविल, अस्पताल, लखनऊ
सदस्य


(डा० वीरेन्द्र सिंह)
संयुक्त निदेशक(प०क०),
प०क० महानिदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ
सदस्य सचिव


(डा० नीना गुप्ता)
महानिदेशक,
संयोजक


(पंकज कुमार),
भिशन निदेशक,
अध्यक्ष